राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

आदेश संख्या : 254/2020–21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का चरित्र एवं पूर्ववृत्त पुलिस सत्यापन जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विभाग को प्रेषित की गई सूचना के आधार पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप स्थाईकरण/वेतन नियमितिकरण किया जाना हैं।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नं.	मेरिट नं.		जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमितिकरण तिथि	स्थाईकरण तिथि
			नई	पुरानी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पूजा	13171	–	2787	20-03-1981	03.07.2018	02.07.2020	03.07.2020	03.07.2020
2	प्रेमसिंह राणावत	13221	–	961	12-05-1980	10.07.2018	09.07.2020	10.07.2020	10.07.2020
3	दीपक यादव	13184	–	1234	26-11-1988	09.07.2018	08.07.2020	09.07.2020	09.07.2020
4	दयानन्द सैनी	43375	89	93	05-08-1993	05.10.2018	04.10.2020	05.10.2020	05.10.2020
5	दीपक कुमार	43376	221	230	23-12-1990	09.10.2018	08.10.2020	09.10.2020	09.10.2020
6	प्रशान्त चौधरी	33339	377	388	27-10-1991	04.10.2018	03.10.2020	04.10.2020	04.10.2020
7	परमजीत सिंह सिसोदिया	33333	–	257	02-06-1991	11.10.2018	10.10.2020	11.10.2020	11.10.2020

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे–मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा हैं) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15 (1) FD/RULES/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकारों में वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त टिप्पणी पचावली क्रमांक पं.2 (3)वित्त/राजस्व/2017 के साथ प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.10.2019 के अनुसार "एस.बी.सी. के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी एवं रिशफल परिणाम के अनुसार कनि0 लेखाकार से तह0 राजस्व लेखाकार में प्रतिस्थापित किए गए 28 अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं"।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादो के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :– प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे–III/6410 **दिनांक :–** 22-12-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

उप निदेशक (कार्मिक–III)